C.D. 6529
Two Sheets

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–278/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 1275/2023)
संजीव राय एवं चार अन्य – बनाम– बिहार सरकार
उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

आदेश

13.05.2026

1. आवेदक–अभियुक्तगण **1.संजीव राय, 2.लालो राय, 3. निलेश राय, 4.जयकिशोर राय एवं 5.कृष्ण कुमार राय** की ओर से खगड़िया थाना काण्ड संख्या 1275/2023, धारा 147,148,149, 307,504,506 भा0दं0वि0 एवं 27 श0अ0 के अंतर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पर उनके विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार सिंह उर्फ पन्ना बाबू एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री भाषानन्द प्रसाद को सुना गया है। मूल अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी की सत्यापित प्रति प्राप्त है।

2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि आवेदकगण कोई अन्य जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया है और न ही लम्बित है। आवेदकगण का चार अन्य केस खगड़िया/मुफस्सिल थाना काण्ड संख्या 203/2015, 538/2015, 30/2013 एवं 440/2014 लम्बित है। आवेदकगण निर्दोष हैं तथा गलत रूप से अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ठ आरोप नहीं है। घटनास्थल पर कोई घटना नहीं घटी है तथा पंचायत चुनाव को लेकर झूठा एवं बनावटी वाद लाया गया है। धारा 307 भा0दं0वि0 एवं 27 श0 अ0 का आरोप नहीं बनता है। सूचिका बिना रोशनी के आवेदकगण को कैसे पहचान की है। उभय पक्षों के बीच अब अच्छा संबंध हो गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदकगण के अग्रिम जमानत आवेदन को स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

3. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत का विरोध किया गया है।

13.5.26

4. अभिलेख एवं काण्ड दैनिकी का अवलोकन किया। अभियोजन का मामला मुख्य रूप से यह है कि सूचिका का पुत्र लव कुमार वर्तमान में पंचायत समीति रहीमपुर उत्तरी का सदस्य है। अभियुक्त 1.डिम्पल कुमार राय, 2.राजेश राय दोनों पे0 रामलक्ष्य राय, 3.कृष्ण राय पे0 मुन्ना राय, 4.जयकिशोर राय, 5.लालो राय, 6.रंजीत राय तीनों पे0 स्व0 रामबली राय, 7. संजीव राय, 8.निलेश राय दोनों पे0 भोथरी राय, 9.रणधीर राय पे0 सुधीर राय, 10.राजा राय पे0 जय

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–278/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 1275/2023)
संजीव राय एवं चार अन्य – बनाम– बिहार सरकार
उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

लगातार,पेज–2
13.05.2026

किशोर राय सभी साकिन रहीमपुर नया टोला दिनांक 13.12.2023 के रात्री 10.00 बजे पिस्तौल, रड एवं लाठी से लैश आये और गाली–गलौज करते हुये उसके पुत्र के उपर और घर पर गोली चलाना शुरु कर दिया। उसके पुत्र किसी तरह भाग गया, तब उसके पुत्र का नाम लेकर कहा बाहर निकलो नहीं तो अन्दर आकर जान से मार देंगे। सूचिका बाहर निकली तो उस पर डिम्पल राय ने सिर पर गोली चला दिया, वह छिप गयी इसलिये बच गयी। ये लोग गाली–गलौज एवं गोली चलाते हुये तथा धमकाते भाग गये। घटना का कारण चुनावी रंजिश है।

5. अवलोकन से विदित है कि आवेदकगण के विरूद्ध अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर रात्री 10.00 बजे सूचिका के घर पर आकर गाली–गलौज करते हुये उसके पुत्र एवं घर पर गोली चलाने तथा सूचिका जब बाहर निकली तो डिम्पल राय द्वारा उस पर गोली चला दिये जाने जिससे सूचिका के छिप जाने के कारण उसकी जान बच जाने का आरोप है। प्राप्त काण्ड दैनिकी की कंडिका 16, 18, 19, 20 में गवाहों ने पंचायत चुनाव को लेकर घटना कारित किये जाने की बात बताया है, लेकिन घटना में किसी को कोई जख्म होना या किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की बात नहीं बताया है। कंडिका 17 में घटनास्थल का विवरण अंकित है लेकिन घटनास्थल से कोई गोली का खोखा या कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुआ है। कंडिका 66 में सूचिका द्वारा आवेदकगण के घटना में शामिल नहीं होने का अनुसंधानकर्ता को दिया गया शपथ–पत्र अंकित है तथा काण्ड दैनिकी के साथ वाद में किसी के जख्मी नहीं होने का सूचिका द्वारा थानाध्यक्ष को दिया गया आवेदन भी संलग्न है जिस पर गवाह के रूप में उसके पुत्र लव कुमार का भी हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित है। आवेदकगण के विरूद्ध कोई विशिष्ठ आरोप नहीं है।

13-5-26

6. उपरोक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदकगण को इस अग्रिम जमानत को **स्वीकृत** किया जाता है तथा इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अन्दर आवेदकगण के न्यायालय

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या–278/2026
(खगड़िया थाना काण्ड संख्या 1275/2023)
संजीव राय एवं चार अन्य – बनाम– बिहार सरकार

उपस्थित : संजय सिंह,
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, खगड़िया।

<u>लगातार,पेज–3</u>

13.05.2026

में आत्मसमर्पण करने या पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने पर मो0 10,000/–(दस हजार) रूपये के दो–दो जमानतदार द्वारा बंधपत्र दाखिल करने एवं संबंधित विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर धारा 482 बी0एन0 एस0 के शर्तो के साथ अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। आवेदकगण शपथ–पत्र दाखिल करेगा कि अनुसंधान एवं विचारण में सहयोग करेगा एवं सूचक या साक्षी को किसी प्रकार की धमकी नहीं देगा तथा लगातार दो निश्चित तिथियों में बिना उचित कारण के अनुपस्थित होने पर उनका बंधपत्र खंडित किया जायेगा।

(लेखापित एवं शुद्धित)
13-5-26
अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय,
खगड़िया।

Date of Judgment/Order	13-05-2026
Date of Reserving judgment/Order	——
Uploading Date	29.05.26
Uploaded by	Nitish Kumar (PC-02)